Action Taken Report on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board

In matter of
Original Application no. 538 of 2022

Swarn Singh
v.
State of Uttarakhand and Ors.

Sr. No.	Description of Documents	Page Nos.
1.	Index	1
2.	Action Taken Report	2-5
3.	**Annexure No. 1**: A Copy of letter bearing no. 38, dated 07.04.2025	6
4.	**Annexure No. 2**: A Copy of letter bearing no. 39, dated 07.04.2025	7
5.	**Annexure No. 3**: A Copy of letter bearing no. 40, dated 07.04.2025	8
6.	**Annexure No. 4**: A Copy of letter baring no. 41, dated 07.04.2025	9

Date: , June 2025
Place: Dehradun

Mukesh Verma
Counsel for UKPCB

Action Taken Report on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board

In matter of
Original Application no. 538 of 2022

Swarn Singh
v.
State of Uttarakhand and Ors.

1. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 02.12.2024 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

   "…..

   6. UKPCB is accordingly directed to immediately pass appropriate orders on show cause notices issued in accordance with law as undertaken and file action taken report at least one week before next date of hearing.

   ….."

2. That in compliance to the aforementioned order, instant action taken report is being filed.
3. That in compliance with the order dated 18.10.2023 passed by the Hon'ble Tribunal in O.A no. 538 of 2022, the license holder was given an opportunity to be heard and the hearing was held on 21.02.2024

and the quantity of illegal mining was decided by Mining Department, State of Uttarakhand.

4. That the Central Pollution Control Board (CPCB) has developed an SOP for the scale of compensation to deal with the cases of Illegal Sand Mining, which was submitted to the Hon'ble Tribunal vide order dated 05.04.2019 in O.A no. 360 of 2015. Further vide order dated 26.02.2021 in O.A no. 360 of 2015, Hon'ble Tribunal accepted the above-mentioned report of CPCB and directed the scale of compensation calculated with reference to approach II.
5. It is humbly submitted that in the matter of Shri Himmat Singh S/o Shri Kartar Singh, Show Cause directions dated 7.10.2023 were issued under section 33A of Water Act 1974 and section-31A of Air Act, 1981. That vide letter no 837/VII-A-1/2023/10(10)/2023 dated 25.05.2023, total quantity of illegal mining material was decided as 41248.8 tons. By using the above-mentioned scale of compensation calculated with reference to approach II, total EC calculated was Rs. 1,51,60,385/-. In this regard, the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board vide letter bearing no. 38, dated 07.04.2025 directed the project proponent (Mr. Himmat Singh) to deposit the environmental compensation of Rs. 1,51,60,385/- through demand draft within one week. In this connection, a copy of letter dated 07.04.2025 is being filed and marked as **Annexure no. 1**.
6. That similarly, in the matter of Shri Subhash Chandra S/o of Shri Tika Ram, vide letter no. 711/VII-A-1/2023/10(09)/2023 dated 28.04.2023, total quantity of illegal mining material was decided as 146088 tons. By using the above-mentioned scale of compensation calculated with reference to approach II, total EC calculated was Rs. 5,36,92,388/-. In

this regard, the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board vide letter bearing no. 39, dated 07.04.2025 directed the project proponent (Mr. Shubash Chandra) to deposit the environmental compensation of Rs. 5,36,92,388/- through demand draft within one week. In this connection, a copy of letter dated 07.04.2025 is being filed and marked as **Annexure no. 2**.

7. That similarly, in the matter of Shri Kripal Singh S/o Shri Kartar Singh, vide letter no. 706/VII-A-1/2023/10(03)/2022 dated 27.04.2023, total quantity of illegal mining material was decided as 139287.6 tons. By using the above-mentioned scale of compensation calculated with reference to approach II, total EC calculated was Rs. 5,11,89,69.76/-. In this regard, the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board vide letter bearing no. 40, dated 07.04.2025 directed the project proponent (Mr. Kripal Singh) to deposit the environmental compensation of Rs. 5,11,89,698/- through demand draft within one week. In this connection, a copy of letter dated 07.04.2025 is being filed and marked as **Annexure no. 3**.

8. That similarly, in the matter of Shri Karam Singh S/o Shri Sucha Singh, the quantity of illegal mining was mentioned as 25535 cubic meter in Show Cause directions. In this regard, the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board vide letter bearing no. 41, dated 07.04.2025 directed the project proponent (Mr. Karam Singh) to deposit the environmental compensation of Rs. 2,06,46,988/- through demand draft within one week. In this connection, a copy of letter dated 07.04.2025 is being filed and marked as **Annexure no. 4**.

9. That it is pertinent to mention that the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) is committed to ensure the compliance of the directions given by this Hon'ble Tribunal.

10. The above report is being presented for the consideration of Hon'ble NGT.

Dated: 13 June 2025

(Dr Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

Annexure-1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–583(part file) / 2025 / दिनांक :– 07.04.2025

सेवा में,

Shri Himmat Singh
S/O Shri Kartar Singh,
R/O Village-Pattanpani, Tehsil-Kaladhungi,
Distt- Nainital.

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत आपको निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कारण बताओ नोटिस एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आपके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) आरोपित की जानी है। मा0 एन0जी0टी0 में योजित MA no.-34/2023 in OA no. 798/2022 & OA no. 538/2022 में दिनांक 18.10.2023 को सुनवाई के दौरान पारित आदेश के अनुपालन में अनुज्ञाधारक को सुनवाई का मौका दिया गया एवं दिनांक 21.02.2024 को सुनवाई की गयी, तत्पश्चात् आप द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के पत्र सं0 837 / VIII-A-1/2023(10)/2023 दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये विवरण / आख्या के आधार पर **Shri Himmat Singh S/O Shri Kartar Singh, R/O Village-Pattanpani, Tehsil-Kaladhungi, Distt- Nainital के विरूद्ध Rs. 1,51,60,385 /– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति** आंकलित की गयी है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि Rs.1,51,60,385 /–(रूपया एक करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार तीन सौ पिचासी मात्र)** पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित् करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट **"उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड"** के नाम एवं देहरादून में देय होगा। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा न किये जाने पर विषयगत प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–583(part file) / 2025 / 38, दिनांक :–तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. कोर्ट सैल, यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

सदस्य सचिव

Annexure-2

UTTARAKHAND UKPCB

LiFE Lifestyle For Environment

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–583 / 2024 / दिनांक :– 07/04/25

सेवा में,

Shri Subhash Chandra
S/O Shri Tika Ram,
Vill-Durgapalpur Motiram,
Tehsil-Lalkuan, Distt- Nainital.

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत आपको निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कारण बताओ नोटिस एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आपके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) आरोपित की जानी है। मा0 एन0जी0टी0 में योजित MA no.-34/2023 in OA no. 798/2022 & OA no. 538/2022 में दिनांक 18.10.2023 को सुनवाई के दौरान पारित आदेश के अनुपालन में अनुज्ञाधारक को सुनवाई का मौका दिया गया एवं दिनांक 21.02.2024 को सुनवाई की गयी, तत्पश्चात् आप द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के पत्र सं0–711/VII-A-I/2023-10(09)/2023 दिनांक 28.04.2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये विवरण/आख्या के आधार पर **Shri Subhash Chandra S/O Shri Tika Ram, Vill-Durgapalpur Motiram, Tehsil-Lalkuan, Distt- Nainital के विरूद्ध Rs. 5,36,92,388/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गयी है।**

आपको निर्देशित किया जाता है कि **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि Rs. 5,36,92,388/–(रूपया पाँच करोड़ छत्तीस लाख बयानब्बे हजार तीन सौ अठ्ठासी मात्र) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित् करें।** पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा न किये जाने पर विषयगत प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–583 / 2025 / 39. दिनांक :–तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. कोर्ट सैल, यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

सदस्य सचिव

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–583 / 2025 /   दिनांक :– 01/04/25

सेवा में,

Shri Kripal Singh
S/O Shri Kartar Singh,
R/O - Sood Colony, Tehsil-Bazpur,
Distt- U.S.Nagar.

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत आपको निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कारण बताओ नोटिस एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आपके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) आरोपित की जानी है। मा0 एन0जी0टी0 में योजित MA no.-34/2023 in OA no. 798/2022 & OA no. 538/2022 में दिनांक 18.10.2023 को सुनवाई के दौरान पारित आदेश के अनुपालन में अनुज्ञाधारक को सुनवाई का मौका दिया गया एवं दिनांक 21.02. 2024 को सुनवाई की गयी, तत्पश्चात् आप द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के पत्र सं0–706/VII-A-I/2023-10(03)/2023 दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये विवरण / आख्या के आधार पर **Shri Kripal Singh S/O Shri Kartar Singh, R/O - Sood Colony, Tehsil-Bazpur, Distt- U.S.Nagar के विरूद्ध Rs. 5,11,89,698/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गयी है।**

आपको निर्देशित किया जाता है कि **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि Rs. 5,11,89,698/–(रूपया पाँच करोड़ ग्यारह लाख उन्नब्बे हजार छ सौ अठ्ठानब्बे मात्र) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित् करें।** पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा न किये जाने पर विषयगत प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–583 / 2025 / 40,   दिनांक :–तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. कोर्ट सैल, यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

सदस्य सचिव

Annexure-4

UTTARAKHAND UKPCB

LiFE Lifestyle For Environment

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–583 /2025/ दिनांक :– 07/04/2025

सेवा में,

Shri Karam Singh
S/O Shri Suchcha Singh,
R/O- Vill-Semalchaud, Bailparav,
Tehsil-Kaladhungi, Distt- Nainital.

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत आपको निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कारण बताओ नोटिस एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आपके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) आरोपित की जानी है। मा0 एन0जी0टी0 में योजित MA no.-34/2023 in OA no. 798/2022 & OA no. 538/2022 में दिनांक 18.10.2023 को सुनवाई के दौरान पारित आदेश के अनुपालन में अनुज्ञाधारक को सुनवाई का मौका दिया गया एवं दिनांक 21.02.2024 को सुनवाई निर्धारित की गयी, जिसमें आपके द्वारा न तो उपस्थिति दी गयी एवं न ही उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रेषित् की गयी। साथ–ही–साथ दिनांक 29.05.2024 के पत्र के क्रम में भी आपके द्वारा कोई प्रत्यावेदन/प्रपत्र प्राप्त नहीं कराये गये।

उपरोक्त क्रम में पूर्व में निर्गत कारण बताओ नोटिस को अन्तिम करते हुए **Shri Karam Singh S/O Shri Suchcha Singh, R/O- Vill-Semalchaud, Bailparav, Tehsil-Kaladhungi, Distt- Nainital के विरूद्ध Rs. 2,06,46,988/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गयी है।**

आपको निर्देशित किया जाता है कि **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि Rs. 2,06,46,988/– (रूपया दो करोड़ छह लाख छयालीस हजार नौ सौ अठ्ासी मात्र) पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित् करें।** पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा न किये जाने पर विषयगत प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–583/2025/41, दिनांक :–तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. कोर्ट सैल, यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

सदस्य सचिव